



पत्रांक 3484 / पी2-12 / प्रतिकर / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2016, 21 मार्च 2016

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत मोटर मार्गों के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली नाप भूमि के प्रतिकर प्रस्तावों में फसल मुआवजा, पेड़ों की क्षति एवं दबान के प्रतिकर प्रस्तावों को संयुक्त रूप से गठित कर प्रेषित किया जा रहा है फलस्वरूप प्रस्तावों के परीक्षण में अधिक समय लग जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि नाप भूमि प्रतिकर प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर पृथक से गठित कर प्रेषित किया जाये तथा अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों, यथा फसल, पेड़, तथा दबान आदि का प्रतिकर प्रस्ताव अलग से गठित किये जायें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(Signature) 21/3/16

मुख्य अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0

(Signature) 19/3/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।

(Signature) 21/3/16

मुख्य अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0

(Signature) 19/3/2016